

प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश -

पार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कोटडी
व भू.अ.नि. कोटडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब
तहसीलदार गिल्डुड की अनुशारा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुरारण में ग्राम कोटडी तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 438 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	कोटडी	438	उदीबाई पत्नी डेवकिशन दिल्ला - 113 भाति - कुम्हार सा. डेव खातिदार शहिन दिल्ला - 113 (पूर्वखाता) SBBJ शाखा राजपुरा दरीबा	उदीबाई पत्नी डेवकिशन दिल्ला - 113 भाति - कुम्हार सा. डेव खातिदार शहिन दिल्ला - 113 (पूर्वखाता) SBI शाखा राजपुरा दरीबा

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा सहायक कलक्टर

दिनांक - 3/10/23

क्रमांक - 12025/138
प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री कोटडी को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा सहायक कलक्टर